भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 59

बुधवार, 06 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

59*. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से झारखंड सहित देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों से औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए की जा रही अन्य पहलों/ उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : उद्योगों की स्थापना और पिछड़े जिलों की पहचान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं।

भारत सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, औद्योगिक कॉरीडोर, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज आफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) एवं अनुपालन बोझ को कम करने, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), जीआईएस समर्थित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति सुधार, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मॉनीटरिंग समूह, निवेश प्रोत्साहन स्कीम, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम तथा भौगोलिक संकेतकों के संवर्धन हेतु पहल जैसी स्कीमें कार्यान्वित करता है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए, डीपीआईआईटी, नागरिकों और व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों पर अनुपालन बोझ को कम करने हेतु पहलों के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समन्वय करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गवर्मेंट-टू-बिजनेस और सिटिजन इंटरफेस को सरल तथा युक्तिसंगत बनाकर, डिजिटाइज और गैर-अपराधीकृत करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज आफ लिविंग में सुधार करना है। एक सतत मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डीपीआईआईटी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक वातावरण के आकलन हेतु व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक एक गतिशील सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

चल रहे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में, झारखंड राज्य एक औदयोगिक कॉरिडोर नामत: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर में कवर होता है।

इसके अलावा, नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) देश के 122 जिलों में ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है, जोकि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता अथवा आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य और पोषण, स्कूली शिक्षा, बुनियादी अवसंरचना, कृषि और जल संसाधन तथा वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। एडीपी के अंतर्गत झारखंड के 19 जिलों को चिह्नित किया गया है। इन 19 जिलों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2021 की भी शुरुआत की है और इसे कार्यान्वित कर रही है।

अनुबंध-I

दिनांक 06.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के अंतर्गत झारखंड के चिह्नित जिलों की सूची

क्र.सं.	**जिले के नाम**
1.	बोकारो
2.	चतरा
3.	दुमका
4.	गढ़वा
5.	गिरिडीह
6.	गोड्डा
7.	गुमला
8.	हजारीबाग
9.	खूंटी
10.	लातेहार
11.	लोहरदगा
12.	पाकुर
13.	पलामू
14.	पश्चिमी सिंहभूम
15.	पूर्वी सिंहभूम
16.	रामगढ़
17.	रांची
18.	साहिबगंज
19.	सिमडेगा

*****